

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/ जीव विज्ञान(छात्र) 2015-16/2600 दिनांक: 08.09.2017 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - जीव विज्ञान वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300-34800) ग्रेड वेतन-4800 के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - जीव विज्ञान रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए-II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक (15860/- प्रतिमाह) देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क-2/03 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।


1. संस्था प्रधान अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत आवेदन सह निरीक्षा प्रपत्र में संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के अनुसार मूल दस्तावेजों से मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावेंगे। संस्था प्रधानों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन सह निरीक्षा प्रपत्र प्राप्त होने पर इसे अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करते समय प्रस्तुत दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान करेंगे एवं मूल आवेदन सह निरीक्षा प्रपत्र को कार्मिक की निजी पंजिका (PERSONAL FILE) में संरक्षित रखा जावेगा। कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावें।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. संस्थाप्रधान का दायित्व होगा कि कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04. 2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/-रुपयें के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रुपयें के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र लेवे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न बिन्दुओं की जांच किये जाने के उपरांत ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें :-

(अ) प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व का होने पर नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावे।
(ब) उक्त प्रमाण पत्र माता एवं पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वह मान्य नहीं है।

7. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट education.rajasthan.gov.in/secondstage पर नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 06.10.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

संलग्न:- 04 संलग्न:-आशार्थियों की सूची



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/नियुक्ति-जीव विज्ञान /पीएससी/15/17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 27/9/17

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/माध्य/संस्था/सी-4/नियुक्ति-जीव विज्ञान/ पीएससी/ 2015/ 2017, दिनांक 27/3/17

वरियता क्रमांक	मेरिट नं.	चयन वर्ग	नाम/पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान पता	जिला	पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जिला
1	270	WE, RG	लीनाश्री / राजनश्री	03-02-1990	29, दानबाडी, जवाहर नगर-कोटा	कोटा	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL NAMANA, BUNDI (08230514405)	bundi
2	387	BC, WE, R G, NG	अनुरेखा / विष्णुदेव	06-08-1987	वार्ड नं0 23, बिश्नोईबास, खेतरपाल मन्दिर, रावतसर, हनुमानगढ	हनुमानगढ	GSSS TALAWADA JHEEL, TIBBI (08020710606)	hanuman garh
3	597	BC, WE, WD, DC	सुशीला चौधरी / हनुमानप्रसाद चौधरी	07-07-1990	गांव श्यामपुरा, सिनोदिया, जोबनेर, जयपुर	जयपुर	GOVT. ADARSH SR. SEC. SCH. BADWA, BASSI (08120814001)	jaipur
4	501	ST	दीपक ताजी / पी. डी0 मीणा	20-07-1987	पी-30, पटेलनगर, रणथम्भौर रोड स0मा0	स0मा0	Govt.SR.SEC.School, JOJAWAR, MARVAR JUNCTION (08200610101)	pali



(नथमल डिडेल)
आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर